रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2478] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 2017/भाद्र 8, 1939
No. 2478] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 2017/BHADRA 8, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2017

(आयकर)

का.आ. 2826(अ).—जबकि दिनांक 7 सितंबर, 1994 को हैनोई में हस्ताक्षरित आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और वियतनाम समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच करार को संशोधित करने वाले प्रोटोकॉल (जिसे इस के बाद "उक्त प्रोटोकॉल" कहा गया है) पर हैनोई, वियतनाम में सितम्बर, 2016 के तीसरे दिन हस्ताक्षर किए गए थे;

और जबकि उक्त प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने की तारीख 21 फरवरी, 2017 है, जो कि उक्त प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 2 के अनुसार, उक्त प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए घरेलू अपेक्षाएं पूरी करने वाली अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है;

इसलिए, अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ संलग्न उक्त प्रोटोकॉल के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

[अधिसूचना सं 82/2017/फा.सं.503/5/2009-एफटीडी-II]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव

अनुबंध

आय पर करों के संबंध में

दोहरे कराधान के परिहार

तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

तथा

वियतनाम समाजवादी गणराज्य की सरकार

के बीच करार का संशोधनकारी प्रोटोकॉल

भारत गणराज्य की सरकार और वियतनाम समाजवादी गणराज्य की सरकार,

दिनांक 7 सितंबर, 1994 को हैनोई में हस्ताक्षरित आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और वियतनाम समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच करार (जिसे इस प्रोटोकॉल में "करार" कहा गया है) में संशोधन करने की इच्छा से,

इस प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

करार के अनुच्छेद 27 के पाठ को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

अनुच्छेद 27
सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचनाओं (दस्तावेजों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे, जो कि इस करार के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्य के करार के अंतर्गत आने वाले करों से संबंधित आंतरिक कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान इस करार के प्रतिकूल न हों, विशेषकर ऐसे करों के संबंध में धोखाधड़ी या अपवंचन की रोकथाम के लिए। संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी, जैसे राज्य के घरेलू कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना। तथापि, यदि संचार करने वाले राज्य में वह सूचना मूलत: गुप्त मानी गई है, तो यह सूचना केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालयों तथा प्रशासनिक इकाइयों सहित) के समक्ष प्रकट की जाएगी, जो करों, जोकि करार का विषय है, के निर्धारण अथवा संग्रहण, करों से सम्बंधित प्रवर्तन अथवा अभियोजन, अथवा करों से सम्बंधित अपीलों के निर्धारण में शामिल हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी यह सूचना केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए प्रयोग करेंगे, परंतु वे लोक अदालती कार्यवाहियों अथवा अदालती निर्णयों में इस सूचना को प्रकट कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी, विचार-विमर्श के द्वारा उन मामलों के बारे में समुचित वातावरण, तरीके तथा तकनीकें विकसित करेंगे जिनके सम्बंध में कर परिहार से सम्बंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान, जहाँ उचित हो, सहित ऐसी सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाएगा। भले ही पूर्वोक्त सूचनाओं में कुछ भी कहा गया हो, संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों राज्यों तथा ऐसे प्रयोग के लिए प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता राज्य के प्राधिकरणों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो।

2. सूचना अथवा दस्तावेज़ों का आदान-प्रदान या तो नित्य आधार पर अथवा विशेष मामलों के संदर्भ में किए गए निवेदन पर अथवा दोनों सूरतों में किया जाएगा। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर ऐसी सूचनाओं अथवा दस्तावेज़ों की सूची पर सहमत होंगे, जो नित्य आधार पर प्रस्तुत की जाएगी।

3. पैराग्राफ 1 के किसी भी उपबंध का अर्थ दोनों में से किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा :

a) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों या प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
b) ऐसी सूचनाओं या प्रलेखों की आपूर्ति करना, जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;

c) ऐसी सूचनाओं या प्रलेखों की आपूर्ति करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।"

अनुच्छेद 2

करार का एक नया अनुच्छेद 27क डाला जाएगा:

"अनुच्छेद 27क

करों के संग्रहण में सहायता

1. संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे। यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं।

2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द "राजस्व दावा" का तात्पर्य संविदाकारी राज्यों, अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए सभी किस्म के करों और विवरण से है, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान इस करार अथवा कोई अन्य साधन जिसके लिए संविदाकारी राज्य पक्ष हैं के साथ-साथ ऐसी राशि से संबंधित ब्याज, प्रशासनिक अर्थ-दंड और वसूली अथवा संरक्षण के संबंध में देय राशि है।

3. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है और उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। उस राजस्व दावे को उस राज्य द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और वसूली, मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे राज्य का राजस्व दावा था, के लिए प्रयोज्य इसके कानूनों के उपबंधों के अनुसार उस दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा वसूल किया जाएगा।

4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा वह दावा है जिसके संबंध में वह राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा। वह दूसरा राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा, मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे राज्य के राजस्व दावे हों, यहां तक कि जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है।

5. पैराग्राफ 3 और 4 के उपबंधों के होते हुए भी पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया दावा उस राज्य में किसी समय सीमा के अध्यधीन नहीं होगा अथवा उसी रूप में उसे इसके स्वरूप के कारण उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं होगी।

6. किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष नहीं लाया जाएगा।

7. जहां पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् किसी समय और दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा संबंधित राजस्व दावे को वसूल करने और प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रेषित करने से पहले संबंधित राजस्व दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा :

क) पैराग्राफ 3 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य का कोई राजस्व दावा जो उस राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली रोक नहीं सकता; अथवा

ख) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य के राजस्व दावे जिसके संबंध में वह राज्य अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है

प्रथमोल्लिखित राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य को दूसरे राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित राज्य अपने अनुरोध को या तो आस्थगित करेगा या फिर हटा लेगा।

8. इस अनुच्छेद के किसी भी उपबंध का अर्थ दोनों में से किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा :

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (*आर्डर पब्लिक*) के विपरीत हों;

(ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो;

(घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपातहीन हो"।

अनुच्छेद 3

संविदाकारी राज्य इस प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के संबंध में राजनयिक माध्यम से लिखित रूप में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे। यह प्रोटोकॉल अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 4

यह प्रोटोकॉल जो इस करार का अभिन्न अंग होगा, तब तक लागू रहेगा जब तक यह करार लागू रहेगा तथा तब तक प्रभावी होगा जब तक खुद यह करार प्रभावी रहेगा।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

हनोई में वर्ष दो हजार सोलह के सितंबर माह के तीसरे दिन को हिन्दी, अंग्रेजी और वियतनामी भाषाओं में, दो प्रतियों में निष्पादित और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य
की सरकार की ओर से

(पर्वतनेनि हरीश)
वियतनाम समाजवादी गणराज्य में भारत गणराज्य
के असाधारण एवं पूर्ण शक्ति-युक्त राजदूत

वियतनाम समाजवादी गणराज्य
की सरकार की ओर से

(डो होआंग एंग त्वन)
उप-वित्त मंत्री